

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- बरदह

थाना बरदह का हिस्ट्रीशीटर, गैंगेस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त, डी-69 गैंग का सक्रिय सदस्य गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित, ईनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी विषयक चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत आज दिनांक 28.06.2021 उ०नि० श्री राजबहादुर यादव थाना बरदह मय हमराह का० विपिन सिंह व का० अमरनाथ शर्मा के थाना हाजा से रवाना होकर देखभाल क्षेत्र व तालाश वांछित अभियुक्त में मामूर था कि जरिये मुखबिर सूचना मिली कि मु०अ०सं० 187/20 धारा 3(1) यू०पी० गैंगेस्टर अधि० थाना बरदह जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त आलम पुत्र इरशाद साकिन उसरी खुर्रमपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ बेशो नदी पुल के पास देखा गया है। इस सूचना पर उ०नि० मय हमराह द्वारा बेशो नदी पुल बहदग्राम उसरी खुर्रमपुर पहुचकर उक्त व्यक्ति को समय 08.40 बजे गिरफ्तार किया गया। नाम पता पुछने पर उसने अपना नाम आलम पुत्र इरशाद साकिन उसरी खुर्रमपुर थाना बरदह आजमगढ़ बताया जो मु०अ०सं० 187/20 धारा 3(1) यू०पी० गैंगेस्टर अधि० का वांछित अभियुक्त तथा थाना स्थानीय का हिस्ट्रीशीटर भी है। साथ ही साथ अभियुक्त आलम पुत्र इरशाद डी-69 गैंग का सक्रिय सदस्य भी है। गिरफ्तार अभियुक्त को कारण गिरफ्तारी बताकर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

अपराध का तरीका

गिरोह बना कर गौकशी व तस्करी

पंजीकृत अभियोग

मु०अ०सं० 187/20 धारा 3(1) यू०पी० गैंगेस्टर अधि० थाना बरदह जनपद आजमगढ़। गिरफ्तार अभियुक्त आलम पुत्र इरशाद साकिन उसरी खुर्रमपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास

क्र०स०	मु०अ०स०	धारा	थाना
1	10/2017	379 भादवि	बरदह
2	201/2017	380,457 भादवि	बरदह
3	235/2017	41,411 भादवि	बरदह
4	190/2018	380/457 भादवि	गम्भीरपुर
5	216/2018	401,41,411 भादवि	गम्भीरपुर
6	356/2017	419,420,467,468,471 भादवि, 3/5ए/8 गो.नि. अधि. व 11 पशु कुरता अधिनियम	बरदह
7	166/2018	380/457 भादवि	मेहनगर
8	119/2020	8/20 एडीपीएस अधि०	बरदह
9	178/2021	3(1) यू०पी० गैंगेस्टर अधि०	बरदह

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

उ०नि० श्री राजबहादुर यादव मय हमराह का० विपिन सिंह का० अमरनाथ शर्मा थाना बरदह जनपद आजमगढ़।